निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
57 / 2020	21.10.2020	08.2.2021

1.कल्याणी पत्नि रामरतन जाति मीना निवासी पीलौदा तहसील वजीरपुर।
2.भगवान्या पुत्र भोला जाति मीना निवासी पीलौदा तहसील वजीरपुर।
3.रूपसिहं पुत्र रामरतन जाति मीना निवासी पीलौदा तहसील वजीरपुर।
4.हरकेश पुत्र रामरतन जाति मीना निवासी पीलौदा तहसील वजीरपुर।

——वादीगण

बनाम

1.मोहनलाल पुत्र रघुनाथ जाति मीना निवासी पीलौदा तहसील वजीरपुर।

——प्रतिवादी

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री फारूख खान एडवोकेट वादीगण की और से

निर्णय

वादीगण द्वारा वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण की सहखातेदारी की भूमि खसरा नं0 3448 रकवा 0.08 है0,3447 रकवा 0.07 है0,ग्राम पीलौदा में स्थित है।जिसमें वादीगण अन्य सहखातेदार के साथ काश्त करते चले आ रहै है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध या वास्ता नही है। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व्यक्ति है जिसे कानून की परवाह नही है। प्रतिवादी आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न करता रहता है।वादीगण ने अपनी भूमि में सरसों की फसल काश्त कर रखी है लेकिन दिनांक 17.10.2020 को ट्रेक्टर लेकर पहुच गया जबरदस्ती वादीगण के खेत की डोलमेड तोड़ दी तथा तालाब से सिंचाई के लिए पचासों साल पहले जो नाली बनी हुई उसे जोत लगाकर नष्ट कर दिया मना करने पर झगडा करने पर आमादा हो गया।प्रतिवादी झगडालू किस्म का व्यक्ति है इसलिए उसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया।प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नही आया इसलिए उसके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स०मा०)

वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज नकल जमाबंदी हाल संवत् 2074–77,खाता संख्या 61,नकल जमाबंदी संवत् 2074–77 खाता संख्या 62 व नक्शे की दो प्रति पेश की है।

बहस वादीगण सुनी गई वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र का समर्थन करते हुए विवादित भूमि की खातेदारी अपने व अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज होना कहा है।उक्त खातेदारी भूमि की सिचांई हेतु तालाब से खेत तक नाली बनी होना कहा है जिसे प्रतिवादी द्वारा नष्ट करने का उल्लेख किया है तथा प्रतिवादी का उक्त भूमि से कोई किसी प्रकार का सम्बंन्ध न होना बताया है तथा दावा वादीगण डिकी करने का निवेदन किया है।

बहस वकील वादीगण सुनी गई । बहस पर मनन किया । पत्रावली व उसमें पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया । वादी के कथनानुसार विवादित भूमि खसरा नंम्बर 3447 व 3448 की खातेदारी वादीगण व अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज है जिसकी पुष्टि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी संवत् 2074–77 से होती है तथा उक्त भूमि से प्रतिवादी का कोई ताल्लुक वास्ता भी प्रतीत नही होता है क्योंकि प्रतिवादी बावजूद सूचना जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नही आया है एसी स्थिति में दावा वादी डिकी किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का डिकी किया जाता है कि प्रतिवादी वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 3447 रकवा 0.07 हैक्टर, 3448 रकवा 0.08 हैक्टर वाके ग्राम पीलोदा तहसील वजीरपुर के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा उत्तपन्न नही करें।

पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 08.2.2021को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप. जिला कलेक्टर
वजीरपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास नरेन्द्र कुमार मीना, आर०ए०एस०

उनवान

1.कल्याणी पत्नि रामरतन जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर ।
2.भगवान्या पुत्र भोला जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर ।
3.रूपसिहं पुत्र रामरतन जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर ।
4.हरकेश पुत्र रामरतन जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर

—वादीगण

बनाम

1.मोहनलाल पुत्र रघुनाथ जाति मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर ।

—प्रतिवादी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 57 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 3447 रकवा 0.07 हैक्टर, 3448 रकवा 0.08 हैक्टर वाके ग्राम पीलोदा तहसील वजीरपुर के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा उत्तपन्न नही करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.2.2021 को जारी किया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
वजीरपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स०मा०)